न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–149/2013

CIS NO. TS-294/2018

कापिर अहमद...वादी

बनाम

हरजीत कौर एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.08.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 24.07.2024 को प्रतिवादी सं0–01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु चल रहा था। वादी के भय से कोई गवाह गवाही देने नही आ सका लेहाजा दिनांक 18.07.2024 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर दिया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा दाखिल सभी कागजातों का प्रदर्श अंकित नहीं हो सका है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायहित में प्रतिवादीगण का साक्ष्य बंद करने का आदेश दिनांक 18.07.2024 को वापस लेकर साक्ष्य देने का अवसर देने की अनुमति दी जाय। इसके लिए प्रतिवादी सं0–01 श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगा। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 31.07.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन कानून की दृष्टिकोण से परिपालनीय नहीं बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी सं0–01 का साक्ष्य दिनांक 06.05.2023 को न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया। करीब 20 तिथियों के अवसर देने के बाद केवल प्रतिवादी सं0–02 का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं0–01 द्वारा कोई न कोई बहाना बनाकर वादी को परेशान किया जा रहा है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद बहस हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–149/2013

CIS NO. TS-294/2018

काफिर अहमद...वादी

बनाम

हरजीत कौर एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **03.08.2024**	सके। आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 18.07.2024 को प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर अभिलेख बहस हेतु नियत किया गया है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 का आवेदन दिनांक 24.07.2024 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 18.07.2024 को वापस लिया जाता है तथा प्रतिवादी सं0–01 को निर्देश दिया जाता है कि 05 तिथियों में अपना साक्ष्य करायें। आगामी दिनांक 06.08.2024 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	